#### भाग – दो : खण्ड एक तेंदू पते का राष्ट्रीय व्यापार अध्याय 1

### मध्यप्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (वर्ष 1964 का 29)

दिनांक 23 नवम्बर, सन् 1964 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई जो "मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण)" दिनांक 28 नवम्बर, 1964 को प्रकाशित की गई - तेन्दू पत्तों के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके, और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु अधिनियमः

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावेः

धारा 1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 कहलावेगा।

- (2) इसका विस्तार क्षेत्र पूरा मध्यप्रदेश होगा।
- (3) यह ऐसे क्षेत्रों में, या क्षेत्र में तथा ऐसे दिनांकों को प्रवृत होगा, जिसे या जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लेखित करे।
- नोट यह अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में दिनांक 28-11-64 से प्रवृत हुआ जिसकी अधिसूचना म.प्र. शासन वन विभाग के नोटीफिकेशन क्र. 14334/x/64 दिनांक 28 नवम्बर, 1964 द्वारा जारी हुई जो दिनांक 28 नवम्बर, 1964 से राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ क्र. 3368 पर प्रकाशित हुई।
- धारा 2. परिभाषाएं इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –
- (क) अभिकर्ता (Agent) से तात्पर्य धारा "4" के अधीन नियुक्त किये गये अभिकर्ता से है।
- (ख) संहिता (Code) से तात्पर्य ''मध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959'' (भूराजस्व संहिता, 1959) (वर्ष 1959 का 20) से
- <sup>1</sup>(ग) व्यापारी से तात्पर्य कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी, अविभाजित हिन्दु परिवार या सोसायटी (जिसमें सहकारी समिति सम्मिलित है) क्लब, भर्म, एसोसियेशन, कमीशन ऐजेन्ट, या अन्य वाणिज्यिक एजेण्ट से है जो तेन्दूपता खरीदने, बेचने और प्रदाय करने का व्यापार सीधे सीधे या अन्य प्रकार से करता है, चाहे नगदी, में आस्थागित भुगतान में, या कमीशन मजदूरी या प्रतिफल से करें।
- (घ) ''तेन्द्र पता उगाने वाला'' (Grower of Tendu Leaves) से तात्पर्य 🗕
- (i) उन क्षेत्रों में, जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये क्षेत्र में, उगे तेन्द् के पौधों के सम्बन्ध में राज्य शासन से हैं।
- (ii) उपरोक्त् (i) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाए गये तेंद् के पौधों के सम्बन्ध में –

<sup>1.</sup> म.प्र. अधिनियम क्र. १ वर्ष २००८ द्वारा संशोधित।

<sup>(</sup>a) राज्य शासन है, जहां तेन्दूपता संहिता की धारा (2) के खण्ड 'ब' में परिभाषित दखिल रहित भूमि पर उगाया जावे।

<sup>(</sup>ब) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले ऐसे खाते के यथास्थिति भूधारी या भाड़ेदार, या शासकीय पट्टाधारी या ऐसी सेवा भूमि के धारक से, है जिसमें तेन्दू के पौधे उगते हों, और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सिम्मिलित है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो।

- (स) किसी ऐसी इकाई में जिसमें तेन्दू पता उगते हों, यथास्थिति मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 (क्र. 15 वर्ष 1953) के अधीन भूदान धारक, मध्य-भारत भूदान यज्ञ विधान, 1955 (क्र. 3, वर्ष 1955) के अधीन भूदान कृषक या भूदान पट्टेदार, विध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1955 (क्र. 1, वष्ट्र 1956) के अधीन भूदान कृषक, तथा राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 (क्र. 16, वर्ष 1954) के अधीन अनुदान ग्रहीता से है और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो।
- (ङ) "खाता से तात्पर्य -
- (एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो भूमि स्वामी द्वारा धारित हो, और
- (दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में, एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथा स्थिति भूमिस्वामी या राज्य शासन से धारण किए गए भूमि खण्ड से है।
- (च) "सेवा भूमि के धारक" से तात्पर्य गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूधारण करने वाले व्यक्ति से है।
- (छ) "शासकीय यपट्टेधारी" से तात्पर्य संहिता की धारा 181 के अधीन राज्य शासन से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है।
- <sup>1</sup>छछ निर्माता- से तात्पर्य ऐसा व्यक् ि(बीड़ी मजदूर के अतिरिक् ) स्थानीय अधिकारी, कम्पनी, अविभाजित हिन्दू परिवार, या सोयायटी (जिसमें सहकारी सोसायटी सम्मिलित है। क्लब, फर्म, या एसोसियेशन, जो बीडी बनाने के कार्य में लगी हो बेचा है किसी भी तरीके से बीड़ी बनावे।
- (ज) "उल्लिखित क्षेत्र" (Specified Area) से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र से है।
- (झ) ''भाड़ेदार'' (Tenant) से तात्पर्य संहिता के चैदहवें अध्यशय के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है।
- (ण) "भूधारी" (Tennure holder) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य शासन से भूमि धारण करता हो और जो संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी हो या भूमि स्वामी माना गया हो।
- (ट) "इकाई" (Unit) से तात्पर्य उल्लिखित क्षेत्र के उस उप-खण्ड से है जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठित किया गया हो।

(ठ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तिययों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हो, किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) में परिभाषित की गई हों, का वही तात्पर्य होगा जो उनके लिये उस अधिनियम में दिया है।

धारा 3. इकाईयों का गठन - राज्य शासन प्रत्येक उल्लिखित क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकेगा जितनी कि वह उपयुक्त समझे।

धारा 4. (1) राज्य शासन, अपनी ओर से तेन्दू पतों के क्रय तथा व्यापार के हेतु भिन्न-भिन्न इकाइयों के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा तथा कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाइयों के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

<sup>1</sup>(2) अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी निर्बन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जावें -

धारा 5. तेन्दू पते के क्रय या परिवहन पर निबन्धन - (1) किसी भी क्षेत्र में धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन सूचना जारी होने पर -

<sup>1.</sup> म.प्र. अधिनियम क्र. 1 वर्ष 2008 द्वारा छछ जोड़ी गई।

- (क) राज्य शासन।
- (ख) इस सम्बन्ध में लिखित रूप से प्राधिकृत किये गये शासन के किसी पदाधिकारी, या
- (ग) जिस इकाई में पत्ते उगाये गये हों उस इकाई से सम्बन्धित अभिकर्ता को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति तेन्द्र् पत्तों का न तो क्रय करेगा और न परिवहन करेगा।
- व्याख्या 1. (एक) राज्य शासन या पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी, <sup>1</sup>या अभिकर्ता द्वारा धारा 12 A के अन्तर्गत किया तेन्दू पतों का क्रय इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया क्रय नहीं समझा जावेगा।
- (दो) खाते में कोई हित न रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने कि ऐसे खातों में उगाये गये तेन्दू पतों का संग्रह करने का अधिकार अर्जित कर लिया हो, यह समझा जायेगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे पतों का क्रय किया है।
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -
- (क) तेन्दू पत्ते को उगाने वाला, अपने पतों का परिवहन, ऐसी इकाई के भीतर, जिसमें तेन्दू पत्ते उगे हों, किसी स्थान से उस इकाई में किसी स्थान तक कर सकेगा और,
- <sup>1</sup>(ख) "ऐसे तेन्दू पतों का, जिनका क्रय राज्य शासन से तथा उक्त उपधारा में उल्लिखित किये गये किसी पदाधिकारी या अभिकर्ता से किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बीडियों के निर्माण के लिये या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर विक्रय के लिए धारा 5 के संशोधन जो म.प्र. तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 7 वर्ष 1989 द्वारा किये गये है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ईकाई के बाहर परिवहन उस सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकार द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी फीस की देनगी की जाने पर, जैसा कि विहित किया जाये, जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्र के निबन्धों तथा शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की परिवहन गाडियों के लिये फीस की विभिन्न दरें विहित की जा सकेंगी।"

(3) तेन्द्र् पते का विक्रय करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति उन्हें पूर्वोक्त शासकीय पदाधिकारी या अभिकर्ता को इकाई के भीतर स्थित किसी भी संग्रहागार (फड़) में बेंच सकेगा।

नोट - अधिसूचना क्र. 6505/x/65- मध्यप्रदेश तेन्द्र् पता (व्यापार) विनियम), 1964 की धारा 5 की उपधारा 1 (ख) अनुरूप राज्य शासन सभी वन अधिकारियों को, जो कि वनपाल के पद के नीचे के न हों, तथा संभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) के पद के उच्च पद के न हों, उन्हें इस नियम के अन्तर्गत तेन्द्र् पता खरीदने एवं स्थानान्तरित करने का अधिकार प्रदान करता है।

(म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 26.5.65, पृष्ठ 1915)

टिप्पणी - (1) खरीददार को एक इकाई से बाहर दूसरी इकाई पर तेन्द्र पता ले जाने के लिये अनुज्ञिस की आवश्यकता है, इसी प्रकार उपरोक्त न्याय दृष्टान्त में यह भी प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 5(2) ब के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11(1)(फ) तथा (ज) का उल्लंघन नहीं करते।

(देखें - बृजलाल मणिलाल एण्ड कं. वि.म.प्र. राज्य-M.P.L.J. 1966 पृष्ठ 866, J.L.J. 1966, पृष्ठ 963)

(2) धारा 5 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या 301 का उल्लंघन नहीं होता।

<sup>1.</sup> धारा ४ एवं ५ के संशोधन म.प्र. तेन्दूपता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम (७ वर्ष 1989) द्वारा किये गये। राजपत्र दिनांक 17-4-89 पृष्ठ ७३९-४१

देखें — M.P.L.J. 1967 पृष्ठ 267, J.L.J. 1967 पृष्ठ 569 A.I.R. 1967, M.P. 218, M.P.L.J. 1966 पृष्ठ 2 लाल राधो शा वि.म.प्र. राज्य)

(3) तेन्दू पते के व्यापार में तेन्दू पता क्रय करना तथा बेचने का व्यवहार सम्मिलित है तथा खरीदे गये पतों का परिवहन व्यवहार में नहीं आता।

देखें - M.P.L.J. 1970 पृष्ठ 129 में बृजलाल मणिलाल कम्पनी वि. म.प्र. राज्य)

(4) तेन्दू पते का एकाधिकार, राज्य के भीतर उगे पत्तों से है तथा राज्य के बाहर से पत्ता लाने पर प्रतिबन्ध नहीं है याचिकाकर्ता राज्य के बाहर से तेन्दू पता लाकर अपने कारोबार के स्थान पर एकत्रित करता है तब धारा 5 का उल्लंघन नहीं करता।

(देखें - म.प्र. राज्य वि. में छोटा भाई जेठा भाई पटेल एण्ड कं. 1972 M.P.L.J. पृष्ठ 641 (सु.को.) (ii) A.I.R. 1968 M.P. 127)

(5) बीड़ी निर्माताओं को खरीदी गई इकाई से अपने गोदाम या शाखा तक तेन्दूपता परिवहन करने के लिए अनुजिस की आवश्यकता है लेकिन ऐसे पत्तों को मजदूरों को बीड़ी बनाने हेतु देने के लिये अनुजिस की आवश्यकता नहीं हैं।

(देखें - बृजलाला मनिलाल एण्ड कं. वि. म.प्र. राज्य - M.P.L.J. 1970 पृष्ठ 518)

¹धारा ६. लुप्त।

<sup>1</sup>धारा 7. राज्य शासन मूल्य निर्धारित करेगी: राज्य शासन, तेन्दूपता उगाने वालों का तेन्दूपता, उसके द्वारा, अधिकृत अधिकारी द्वारा या एजेन्ट द्वारा, राज्य शासन के अतिरिक्त खरीदने का मूल्य, उस विधि से जो निर्धारित की जावे, निर्धारित करेगी।

धारा 8. संग्रहागारों का खोला जाना तथा संग्रहागारों (फड़ों) पर मूल्य सूची आदि का प्रकाशन - प्रत्येक इकाई में ऐसी संख्या में तथा ऐसी स्थानों पर, जैसा कि राज्य शासन, तेन्दू पता उगाने वालों की सुविधा का विचार करते हुए निर्देशित करे, संग्रहागार (फड़ें) स्थापित किए जायेंगे और धारा 7 के अधीन राज्य शासन द्वारा निश्वित की गई तेन्दू पत्तों की मूल्य सूची, काम-काज के घण्टे, उस सूचना-फलक पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जायेंगे जो कि इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसे संग्रहागार में रखा गया हो।

धारा 9. राज्य शासन या अभिकर्ता तेन्दू पतों का क्रय करेगा - (1) राज्य शासन या उसका प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता, काम-काज के घंटों के भीतर, संग्रहागार (फड़) में विक्रय के, लिए प्रस्तुत किए गए तेन्दू पत्ते, धारा 7 के अधीन निश्चित किए मूल्य पर, खरीदने को बाध्य होगा:

<sup>1.</sup> तेन्दू पता व्यापार विनियन संशोधन अधिनियम 2007 (1 वर्ष 2008) को धारा 4 द्वारा धारा 6 विलोपित तथा धारा 7 प्रतिस्थापित।

- (2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा, उसके पत्तों के अस्वीकार कर दिए जाने के कारण परिवेदित (Aggrieved) कोई भी व्यक्ति, ऐसी अस्वीकृति के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसी इकाई पर जिसमें कि पत्ते उगे हों क्षेत्राधिकार रखने वाले वन मण्डलाधिकारी या इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा सशक्त किए गये अन्य पदाधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यथास्थिति वन मण्डलाधिकारी, या ऐसा अन्य पदाधिकारी, उसी स्थान पर या मुख्यालय पर विहित रीति से जांच करेगा और सम्बन्धित पक्षों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे कि वह ठीक समझे और उस दशा में जब वह पत्तों को अस्वीकार करना अनुचित पाता हो।
- (क) यदि वह प्रश्नाधीन पतों को अब भी बीडियों के निर्माण के लिए उपयुक्त समझता हो, यथास्थिति पदाधिकारी या अभिकर्ता को उसका क्रय करने के आदेश दे सकेगा और परिवेदित व्यक्ति (Aggrieved person) को ऐसा अग्रेतर प्रतिकर (Further compensation), जैसा कि वह उचित समझे, और जो उसे पतों के देय मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (ख) यदि वह समझे कि प्रश्नाधीन (in question) पत्ते, इस बीच बीड़ी के निर्माण के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं तो परिवेदित व्यक्ति को ऐसी रकम जो कि उपधारा (1) के अधीन, उसको ऐसे पत्तों के देय मूल्य से कम न हो, तथा ऐसे व्यक्ति के द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति धन के रूप में ऐसा अग्रेतर प्रतिकर, जैसा कि वह उचित समझे और जो ऐसे मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, भुगतान के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (4) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि यदि राज्य शासन, उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने के कारण हो कि विक्रय के लिये प्रस्तुत किये गये पत्ते, राज्य शासन के वनों या भूमियों के हैं, तो ऐसे पतों को अधिकार में लेने और केवल ऐसे संग्रहण सम्बन्धी व्ययों के, यदि कोई हों, जैसे कि राज्य शासन समय-समय पर अवधारित करे, भुगतान करने में कोई रुकावट आती है:

किन्तु किसी विवाद की दशा में, वन मण्डलाधिकारी या ऐसा अन्य पदाधिकारी, जो कि उपधारा (2) में उल्लिखित किये गये रूप में इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से सशक्त कर दिया जावे, उसमें उपबंधित रीति में उसे सुनेगा तथा उसका निपटारा करेगा।

नोट - मध्य प्रदेश शासन अधिसूचना क्र. 247/x/65 दिनांक 12-1-65, राज्य शासन म.प्र. तेन्दू पता (व्यापार विनियमन), 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964 की धारा 9 की उपधारा (2) से प्रदत्त शक्तियों द्वारा समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों (Range Officers) को उक्त धारा (9) के उपधारा (2) के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करता है।

धारा 10. रजिस्ट्रीकरण - राज्य शासन को छोड़कर, तेन्दू पतों का अन्य उगाने वाला, यदि यह संभावना हो कि वर्ष के दौरान, उसके द्वारा उगाये पत्ते का परिणाम, ऐसे परिणाम से जो विहित किया जावे, अधिक हो जावेगा, स्वयं को विहित रीति से रजिस्ट्रीकृत करा लेगा।

धारा 11. बीडियों के निर्माता और तेन्दूपता व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण - (1) प्रत्येक बीडियों का निर्माता तथा प्रत्येक तेन्द् पत्ते का व्यापारी, जैसे कालाविध के भीतर जो निर्धारित की जावे और ऐसी फीस का भुगतान कर और उस विधि से जो निर्धारित की जावे, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करावेगा।

(2) बीडियों का प्रत्येक निर्माता और तेन्दू पत्ते का प्रत्येक व्यापारी को उपधारा (1) में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, ऐसे प्रारूप में, ऐसे दिनांक तक ऐसी रीति से जो विहित की जावे, घोषणा प्रस्तुत करेगा। धारा 12. पतों का निवर्तन - इस अधिनियम के अधीन, राज्य शासन द्वारा या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये तेन्द्र पत्ते ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य शासन निर्देश दे, बेच दिये जावेंगे या उनका अन्यथा निवर्तन कर दिया जायेगा।

धारा 12.क. अतिरिक्त तेन्दू पतों का पुनर्विक्रय - (1) कोई बीडियों का निर्माता या तेन्दू पतों का निर्यातक, जिसके पास उसकी आवश्यकता 1{} के पश्चात् अतिरिक्त मात्रा में तेन्दू पता बचा रह जाता हो, वह ऐसे अतिरिक्त बचे तेन्दू पतों का पुनर्विक्रय राज्य शासन की या ऐसी किसी पदाधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, अनुजा के बिना नहीं करेगा। वह व्यक्ति, जो ऐसे तेन्दू पतों का पुनर्विक्रय करने का अभिप्राय रखता हो, राज्य शासन अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारूप में, ऐसी विशिष्टयां अन्तर्विष्ट करते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) कोई बीडियों का निर्माता या तेन्दू पतों का <sup>1</sup>{व्यापारी} जो इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित तेन्दू पतों में ऐसे अतिरिक्त परिणाम का क्रय करने का अभिप्राय रखता हो, उसका क्रय राज्य शासन की या ऐसी किसी प्राधिकारी की, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, अनुजा के बिना नहीं करेगा। ऐसा बीडियों का निर्माता या तेन्दू पतों का <sup>1</sup>{व्यापारी} राज्य शासन को या ऐसे किसी पदाधिकारी को, जो इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया जाए, ऐसे प्रारूप में, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(3) तेन्दू पतों का पुनर्विक्रय करने के उपधारा (1) के अधीन आवेदन तथा ऐसे तेन्दू पत्तों का क्रय करने के लिए उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य शासन या प्राधिकृत पदाधिकारी क्रेता द्वारा ऐसी राशि की, जो कि विहित की जाए, देनगी की जाने पर, उन दोनों को लिखित में अनुजा दे सकेगा।

टिप्पणी - धारा 12, 19-धारा 12 के शब्द "निर्देश दें" का तात्पर्य यह नहीं कि राज्य शासन नियम नहीं बना सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन का तेन्दू पत्तों के विक्रय के, विनियमन के या निवर्तन के नियम बनाने की पूर्ण शक्ति है। धारा 19 के अन्तर्गत राज्य शासन को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है ।

(देखें A.I.R. 1966 M.P. 34 (39)]

<sup>1.</sup> म.प्र. तेन्दूपत्ता व्यापार विनियमन (संशोधन) अधिनियम २००७) क्र. १ वर्ष २००८) द्वारा धारा ११ पुनः स्थापित। धारा ११ ८ संशोधित।

धारा 12. तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 - राज्य द्वारा कितपय इकाईयों से तेन्दू पता विक्रय के लिये निविदायें आमंत्रित की गई तथा याचिकाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई एवं प्रतिभूति राशि जमा की गई। किन्तु निविदा खुलने के पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने का आवेदन दिया तथा अनुरोध किया कि निविदा न खोली जावे। किन्तु निविदा खोली गई क्योंकि वह अकेली थी। याचिकाकर्ता द्वारा इकरारनामा निष्पादित नहीं किया। पश्चात् तेन्दू पत्ते का विक्रय अन्य व्यक्ति को किया गया तथा याचिकाकर्ता द्वारा दी गई निविदा तथा बाद में बेचे गये तेन्दू पत्तों का विक्रय मूल्य के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की गई। निर्णय हुआ कि निविदा सूचना की शर्ते जो धारा 12 के अन्तर्गत प्रकाशित हुई, विधि का रूप नहीं ले सकती संविदा जो संविधान की धारा 299(1) के अनुसार निश्पादित नहीं की गई, प्रभावशाली नहीं हैं।

देखें: (1) M.P.L.J. D1966, पृष्ठ 1057

J.L.J. 1972, पृष्ठ 345

#### A.I.R. 1972 M.P. 131

इसी प्रकार यदि संविधान की धारा 299(1) के अनुसार संविदा निष्पादित न हो तो राज्य शासन हानि की राशि, धारा 82 (भा.व.अ. 1927) के अन्तर्गत वसूल नहीं कर सकता। (राम जुड़ावन तिवारी वि. वन संरक्षक भोपाल, वी. नो. 1980(1), पृष्ठ 303)

तेन्दू पत्ते के संग्रहण हेतु निविदा बुलाई गई किन्तु स्वीकृति नहीं सूचित की गई। शासन हानि नहीं कर सकता। 1987 M.P.L.J./102

धारा 13. शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of Power) - राज्य शासन, आदेश द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सहायक वन संरक्षक से निम्न श्रेणी के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को अपनी किन्हीं भी शिक्तयों से या कृत्यों से प्रत्योजित (delegate) कर सकेगा जो कि उन्हें ऐसी शर्तों या निबन्धनों के अधीन, जैसी की राज्य शासन आदेश में उल्लिलिखत करे, प्रयोग में लायेगा या सम्पादित करेगा।

## नोट - राज्य शासन ने निम्नानुसार अधिकार दिये हैं।

अधिसूचना क्र. 246/X/65 दिनांक 12-1-65 मध्य प्रदेश तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, निम्न अनुसूची के स्तम्भ (Column 2) में प्रदर्शित अधिकारों को इन्हीं अनुसूची के स्तम्भ (Column 3) में प्रदर्शित अधिकारियों को अधिकार प्रदत्त करता है जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 4 में निर्देशित यदि कोई शर्त या प्रतिबन्ध हो तो उसको मानते हुए कथित अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(म.प्र. राजपत्र दिनांक 12-1-1965, पृष्ठ 34 पर प्रकाशित)

अनु.	अधिकार	अधिकारी	शर्त एवं प्रतिबंध	रिमार्क	
1	2	3	1		
1.	अधिनियम की धारा	1. वन संरक्षक, तेन्पू पत्ता,	राज्य सरकार की पूर्व अनुमति	5	-
	3 के अनुसार इकाई	भोपाल।	से अधिकार का प्रयोग होगा		
	गठन का अधिकार	<sup>1</sup> 2. मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.	Man Sta my 12 years dogs	2162	
		भोपाल।	1990 to the law on the	अधिसूचना	क्र
		<sup>1</sup> 3. उप मुख्य वन संरक्षक,		618-X-71	दि
STEE	H. PERINE ROLL (	म.प्र. भोपाल।		18-2-71	द्वार
2.	अधिनियम की धारा	क्षेत्रीय वृतों के प्रभारी वन	T SANS AND SHOP MAD THE	संशोधित	
	4 के अधीन	संरक्षक	THE RESIDENCE OF SERVICE	प्रतिबन्ध :	म.प्र
	अभिकर्ता-कताओं की	o agree or the up it is	that we she to be extreme.	शासन	वन
	नियुक्ति का अधिकार	the in fidelite injulie	the total states to men	विभाग	की
	तथा अभिकर्ताओं की	and the first state	icia sesso il settinono di il	अधिसूचना	क्र
	नियुक्ति को रद्द करने			974/X/(2)-70	0
	की शक्ति	करीता स्थापित कर जा है।	infinite a faint to in	दि. 14-4-70	जो
	अधिनियम की धारा	THE THE IT TRANSPORTS IN	if mostly in to the ear	राजपत्र दि	नांक
3.	8 के अंतर्गत डिपो	संभागीय वन अधिकारी (वन	and the first term and the	21-4-70 पर	पृष्ठ
plor.	खोलने का अधिकार	मण्डलाधिकरी)	THE REST METALONING COMM	915-916	पर
1)	जालग पग जायकार	on hatte I my mer to	free it was the second	प्रकाशित	से
			and the second s	विलोपित	

धारा 14. अधिहरणीय सम्पत्ति के अभिग्रहण की शक्ति और उसके लिये प्रक्रिया - (1) समस्त वन पदाधिकारी या सहायक उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई भी पुलिस पदाधिकारी या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के पालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से उक्त उपबंधों का पालन किया गया है –

- (एक) तेन्दू पत्ते के लिये उपयोग में लाये गये या उपयोग में लाये जाने के लिये अभिप्रेत किसी नाव, गाड़ी या तेन्दू पत्ता भरने के लिये उपयोग में लाया जाने वाला सामान (भक्क्) को रोक सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा।
- (दो) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।
- (2) तेन्दू के उन पतों का जिनके सम्बन्ध में यदि संदेह को कि इस अधिनियम के अधीन या उसके बनाये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है, तो वह सामान, जिसमें पते रखे हों या पतों को ले जाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली गाडियों या नाव सहित अभिग्रहण कर सकेगा।
- (3) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य शासन ने इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किया हो, ऐसी समस्त सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला एक चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण किया गया है, और अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को या तो यथाशक्य शीघ्र सहायक वन संरक्षक से अनिम्न श्रेणी के पदाधिकारी के या किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे राज्य शासन ने, अधिस्चना द्वारा, इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया हो, (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत पदाधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) समक्ष पेश करेगा, या जहां परिणाम या प्रपुंज (बल्क) को, अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो कि अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति को प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष पेश किया जा सके, वहां वह अभिग्रहण की बाबत प्रतिवेदन प्राधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां तुरंत आरम्भ करना अभिप्रेत हो, वहां ऐसे अभिग्रहण का प्रतिवेदन उस मजिस्ट्रेट को करेगा जो उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखता हो जिसके कि कारण अभिग्रहण किया गया है।

परंतु जब वे तेन्दू पत्ते जिनके बारे में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास किया जाता है, शासन की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है।, तब यदि पदाधिकारी परिस्थितियों के बारे में प्रतिवेद न अपने पदीय वरिष्ठ को यथाशीघ्र दे देता है तो वह पर्याप्त होगा।

<sup>1</sup>3.A (1) कोई वन अधिकारी, जो वन क्षेत्र पाल के पद से अनिम्न पद का न हों और जिसके अधीनस्थ अधिकारी ने उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई औजार, नाव, वाहन रस्सी चेन या अन्य वस्तु जस की हो, को उन वस्तुओं के मालिक द्वारा, उन वस्तुओं के मूल्य मालिक, द्वारा उन वस्तुओं के मूल्य के बराबर या उस अधिकारी की सन्तुष्टि तक की राशि की जमानत निष्पादित की हो और यह लिखित में, यह बन्ध पत्र प्रस्तुत करे कि वह उन वस्तुओं को जिस स्थान पर, जिस दिनांक को निर्देशित किया जावे, प्राधिकृत अधिकारी या उस मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको, उस प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता है, प्रस्तुत करेगा, सुपुर्दगी में दे सकेगा।

(4) उपधारा (6) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जब प्राधिकृत पदाधिकारी का यथास्थिति तेन्द् पतों को अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है कि उसके बारे में अपराध किया गया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उन तेन्द् पत्तों को, जो इस प्रकार अभिगृहित किये गये हैं, समस्त औजारों, गाडियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किन्हीं अन्य वस्तुओं सिहत?, जिनका कि उपयोग ऐसे अपराध के करने में किया गया है अधिहत कर सकेगा। ¹(प्राधिकृत अधिकारी के

आदेश की एक प्रति) असम्यक् विलम्ब के बिना उस वृत्त के वन संरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें कि तेन्दू पतों को अभिगृहीत किया गया है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी संपत्ति को अधिहत करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत पदाधिकारी –

1. म.प्र. तेन्दू पत्ता व्यापार विनियम संशोधन अधिनियम २००७ द्वारा उपधारा ३-४ जोड़ी गई तथा ४ में संशोधन किया।

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू किये जाने के बारे में सूचना उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में नहीं भेज देता।

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे यह सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत पदाधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं दे देता।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तावित अधिहरण के विरूद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि सूचना में उल्लिखित किया जाये, अभ्यावेदन करने का अवसर दे देता; और

(घ) अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी की तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की, जिसे उन्होंने खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी हो सुनवाई, उस प्रयोजन के लिये नियत किये जाने वाले दिनांक को नहीं कर लेता।

(6) उपधारा (4) के अधीन, किन्हीं औजारों, गाडियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु के (जो अभिगृहीत किये तेन्दू पतों से भिन्न हो) अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जायेगा यदि उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकृत पदाधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, गाडियों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने के किये पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती गई थीं।

(7) इस धारा के अन्तर्गत की जाने वाली तलाशी एवं जप्त के सम्बन्ध में, भा.द.प्र. संहिता 1973 (क्र. 2 1974) को धारा 102 एवं 103 के तलाशी एवं जप्ती के प्रावधान, जहां तक लागू हों, इसमें भी लागू होंगे।

<sup>1</sup>8. जब उस प्राधिकृत अधिकृत द्वारा, जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो, उसने स्वयं वस्तुएं जप्त की हो या जिसने उस प्रकरण का अन्वेषण किया हो, तो वन मण्डलाधिकारी उस प्रकरण को उसी पद के दूसरे अधिकारी को हस्तांतरित कर सकेगा जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

14. क. अधिहरण के आदेश के विरूद्ध अपील - (1) अधिहरण के किसी आदेश से परिवेदित कोई व्यक्ति, आदेश के लिए किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस वन वृत के, जिसमें तेन्दू पत्ते अभिगृहीत किये गये हों, वन संरक्षक (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा जिसके साथ ऐसी फीस जमा की जायेगी और जो ऐसे रूप में देय होगी जैसा कि विहित किया जाए, और उसके साथ अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, उस दशा में जबिक उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, अभिग्रहण करने वाले <sup>1</sup>{पदाधिकारी} को, और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका कि अपील अधिकारी की राय में प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है, (जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी, यदि कोई हो, आता है) स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाई की सुनवाई की सूचना <sup>1</sup>{प्राधिकृत अधिकारी} के आदेश की प्रति उसे प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर स्वप्रेरणा से दे सकेगा, और अपील के जापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा।

परंतु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले पदाधिकारी और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसका कि पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूल, प्रभावित होना संभाव्य है, में से उसको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना अधित्यजन कर दे या जिसे अपील की सुनवाई का दिनांक, अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित किया जा सकता हो।

- 1. म.प्र. तेन्दूपता व्यापार विनियमन संशोधन अधिनियम २००७ द्वारा उपधारा '8' जोड़ी गई। 14 'क' (2) में संशोधन किया।
- (3) अपील अधिकारी, अपील किये जाने की, या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही किये जाने के बारे में में प्राधिकृत अधिकारी को लिखित सूचना देगा।
- (4) अपील अधिकारी, अधिहरण की विषय वस्तु की अभिरक्षा परिरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिये अन्तिरिम स्वरूप ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत प्रतीत हो।
- (5) अपील अधिकारी, मामले की प्रकृति या अन्तर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने विधि व्यावसायियों के द्वारा किये जाने की अनुजा दे सकेगा।
- (6) अपील की या स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसके लिए सुनवाई रखी जावे, अपील अधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी की मार्फत सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पृष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपान्तरित करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा, परन्तु कोई आदेश पारित करने के पूर्व अपील अधिकारी यदि अपील के या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निपटारे के लिये, यह आवश्यक समझा जाता है तो अतिरिक्त जांच या तो स्वयं कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करवा सकेगा और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारर्थ उद्भृत हो, प्राख्यान या खण्डन करने के लिए पक्षकारों को शपथ पत्र फाइल करने के लिये अनुजा दे सकेगा।
- (7) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।
- (8) अंतिम आदेश की, या पारिणामिक स्वरूप के आदेश की प्रति पालन के लिये अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिये, प्राधिकृत पदाधिकारी को भेजी जायेगी।

धारा 14. ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण - (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधीकारी द्वारा पारित किये गये अंतिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप के आदेश से परिवेदित हो, उस आदेश के, जिसके विरूद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को, पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित

1. म.प्र. तेन्दूपत्ता व्यापार विनियमन संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा उपधारा '8' जोड़ी गई। 14 'क' (2) में संशोधन किया।

व्याख्या - इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर जायेगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।

- (2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी अंतिम आदेश या किसी पारिणामिकस्वरूप के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, या उसे उपान्तरित कर सकेगा।
- (3) पुनरीक्षण में पारित किये आदेश की प्रतियां, अपील प्राधिकारी को तथा प्राधिकृत पदाधिकारी को, पालन के हेतु या ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाये।
- (4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चित करने के लिये सेशन न्यायालय, जहां तक हो सके उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।
- (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

धारा 14. ग. कितपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन - (1) उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पित का, जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, अभिग्रहण किया गया है विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मिजिस्ट्रेट को सम्पित के अधिहरण के लिये कार्यवाहियां शुरू की जाने के बारे में धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन सूचना के प्राप्त होने पर, किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी (जो यथास्थिति धारा 14, 14-क में निर्दिष्ट प्राधिकृत पदाधिकारी, अपील पदाधिकारी तथा सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस सम्पित के कब्जे, परिदान, निवर्तन या विवरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके बारे में धारा 14 के अधीन अधिहरण की कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं।

परन्तु सम्पति के निवर्तन के लिए कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को या उस अपराध का जिसके कारण सम्पति का अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

व्याख्या - जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहां ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने पर यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबंध के अधीन सूचना समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगी।

(2) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किये गये किसी पदाधिकारी को इस बात से निवारित करती है कि वह धारा 14 अधीन अभिगृहीत की गई किसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त किये जाने का निर्देश किसी भी समय दें।

धारा 14. घ. सम्पत्ति का अधिहरण, जब कि वह उपज शासन की सम्पत्ति न हो - ऐसे समस्त तेन्दू पते, जो दोनों में से प्रत्येक दशा में शासन की सम्पत्ति नहीं है और जिसके विषय में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, तथा समस्त औजार, नावें, गाडियां, रस्से, जंजीर या कोई अन्य वस्तुएं, जिनका प्रत्येक दशा में उपयोग ऐसा उल्लंघन करने में किया गया है, अपराध को ऐसे उल्लंघन के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 14-14-क, 14-ख तथा 14-ग के अध्यधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

नोट - वन विभाग, भोपाल अधि. क्र. एफ 18-3-87 दस दिनांक 6.1.90: म.प्र. तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र 29 वर्ष 1964) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, समस्त सहायक वन संरक्षक, जो उप वनमण्डल के प्रभार में हों, को उक्त धारा में निहित प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित करता है।

नोट - मध्य प्रदेश शासन वन विभाग अधिसूचना क्र. 248/X/65 दि. 12.1.65 - मध्यप्रदेश तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्र. 29, वर्ष 1964) का धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत् शिक्तयों का उपयोग करते हुए राज्य शासन सभी वन अधिकारियों को उनके सम्बन्धित अधिकार-क्षेत्रों के लिये कथित धारा के प्रयोजनों के लिये अधिकृत करती है।

धारा 15. शास्ति - यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो -

(क) वह कारावास से जिसकी अविध तीन मास से कम न हो तो जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थदण्ड से जो पांच हजार रूपये <sup>1</sup>से कम न हो और जो रूपये 50,000 तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा।

जब तक कि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो कि सजा से भी न्याय की मांग की पूर्ति हो जावेगी और वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगी।

(ख) उन तेन्दू पतों को, जिनके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन किया गया हो, या उनके ऐसे भाग को, जैसा कि न्यायालय को उचित प्रतीत हो, शासन के पक्ष में जस कर लिया जायेगा:

परंतु यदि न्यायालय की राय है कि यथास्थिति सम्पूर्ण पत्तों या उनके किसी भाग के सम्बन्ध में जप्ती का निर्देश देना आवश्यक नहीं है, तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार, पर, ऐसा नहीं करेगा।

धारा 16. चेष्टायें तथा अभिप्रेरण (Attempt and abetment) - किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध का उल्लंघन करने की चेष्टा करे, या उसके उल्लंघन को अभिप्रेरित (abets) - करे, ऐसे उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला समझा जावेगा।

धारा 17. अपराधों का प्रसंज्ञान (Congizance) - खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) से अनिम्न किसी वन पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा, जो कि इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कर दिया जावे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, किये गये लिखित प्रतिवेदन के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान नहीं करेगा।

नोट - राज्य शासन व विभाग की अधिसूचना क्र. 249/X/65 दि. 12-1-65 से सभी सहायक वन संरक्षकों को तथा क्र. 8772/X/69 दि. 20-12-1969 से सभी अतिरिक्त सहायक वन संरक्षकों को धारा 17 के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया है। किन्तु राज्य शासन ने अब अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक का पद नाम भी सहायक वन संरक्षक कर दिया है। पहली अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) दि. 12-1-65 के 12-1-65 के पृष्ठ 34 पर तथा दूसरी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दि. 22-12-1969 के पृष्ठ 2941 पर प्रकाशित हुई है।

<sup>1</sup>धारा 17 A. अवराधों का प्रशमन करने की शक्ति - राज्य शासन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन अधिकारी को निम्न के लिए अधिकृत कर सकता है -

- (a) उस व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध इन अधिनियम के या इसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत अपराध करने का युक्तियुक्त सन्देह हो, उस अपराध के लिए जो उस अपराधी ने किया हो, प्रतिकर के रूप में राशि स्वीकार करने।
- (b) जब कोई ऐसी सम्पत्ति जस हुई हो, जो राजसात होने के दायित्वाधीन हो, उसको राजसात होने के आदेश होने के पूर्व, समुचित अधिकारी द्वारा अनुमानित किया जावे, सम्पत्ति के मालिक द्वारा भुगतान करने पर छोड़ सकता है।
- (2) इस प्रकार राशि या मूल्य दोनों के, जैसा प्रकरण हो, के भुगतान होने पर वह सन्देहास्प्रद व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में हो को मुक्त किया जावेगा, और वह सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।
- (3) इस धारा के अन्तर्गत उस अधिकारी को अधिकृत नहीं किया जावेगा जो वन क्षेत्रपाल के पद से निम्न पद का हो और क्लाज (a) के अन्तर्गत प्रतिकार के रूप में जो राशि वसूल की जावेगी वह जप्त शुदा तेन्दू पते के मूल्य के दस गुना से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यदि वह तेन्दू पता, जिसके सम्बन्ध में अपराध कारित हुआ है, वह शासन की सम्पित नहीं है या जसशुदा तेन्दूपते का मूल्य रू. 1000/- से कम हो, और अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया हो, तो उस व्यक्ति को रू. या जसशुदा वस्तु का (तेन्दूपता छोड़कर) मूल्य जमा करने पर (जो कम हो) छोड़ दिया जावेगा, और जमशुदा तेन्दूपता यदि शासन की सम्पित न हो, तो उसके मूल्य के भुगतान करने पर या अन्यथा छोड़ दिया जावेगा।

धारा 18. सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यावृत्ति (Saving) - किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना अभिप्रेत रहा हो, पहुंचाये गये या संभाव्यतः पहुंचाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या सम्भाव्यतः उठाई जाने वाली क्षति के लिए कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

धारा 19. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य शासन, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के सामान्यतया किन्हीं भी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

- (2) विशेषतः और पूर्वीक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिये उपबन्ध हो सकेगा, अर्थात्-
- ² (क) विलोपित,
- (ख) तेन्दू पते की मूल्य सूची का प्रकाशन,

- (ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की विधि,
- (घ) वे निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अधीन अनुजापत्र जारी किया जायेगा, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा वह रीति जिसमें तथा वह फीस या फीसें जिसकी या जिनकी देनगी की जाने पर विभिन्न प्रकार की परिवहन गाडियों के लिये अनुजा पत्र जारी किये जा सकेंगे।
- (ङ) धारा 10 के अधीन पंजीयन (Registration) की रीति,
- (च) (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रेशन की रीति, कालावधि, जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जावेगा तथा उसके लिये देय फीस।
- (2) धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन घोषणा का प्रारूप। अधिकारी जिसको, दिनांक तथा रीति, जिस प्रकार घोषणा प्रस्तुत की जावेगी।
- 1. म.प्र. तेन्द्र पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधि. 2007 द्वारा धारा 17- A जोड़ी गई।
- 2. म.प्र. तेन्द्र पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा विलोपित।

1(च-एक) धारा 12 (क) की उपधारा (3) के अधीन वह राशि (Consideration) जिसकी देनगी की जाने पर अनुजा दी जा सकेगी।

1(च-दो) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन वह प्रारूप। जिसमें सम्पति के अधिहरण के लिये कार्यवाहियों की सूचना भेजी जायेगी।

1(च-तीन) धारा 14-क की उपधारा (1) के अधीन वह प्रारूप जिसमें अपील की जाएगी तथा फीस की वह रकम जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी और वह रूप जिसमें वह देय होगी।

- (छ) कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त व विवक्षित (expressly) रूप से विहित किया जाना अपेक्षित हो।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान-सभा के पटल पर रखे जावेंगे। टिप्पणी धारा 19(1) मध्यप्रदेश तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1965 नियम (6) म.प्र. तेन्दू पता (व्यापार विनियमन नियमावली) संशोधन अध्यादेश, 1965 (संशोधन क्र. 3 वर्ष 1965) की धार 3 से किया गया है वह अवैधानिक नहीं है। राज्य शासन को राज्य सूची (प्रविष्टि क्र. 19) के अन्तर्गत अधिनियम बनाने की शक्ति है तथा ऐसे अध्यादेश के लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। (देखें AIR 1966 M.P. 110)
- (2) म.प्र. तेन्दू पता (व्यापार विनियमन) 1964 की धारा 19 के अन्तर्गत बने नियम रूल 3(a) फार्म सी, यह क्लाज 6(XX) जो उसके अन्तर्गत बने वे वैधानिक हैं और राज्य शासन की नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत् हैं। (देखें भगवती बीडी ली.ज.कं.वि. म.प्र. शासन, वीकली नोट 1978(1), पृष्ठ 394)

धारा 20. भारतीय वन अधिनियम के उपबन्ध अन्य विषयों को लगा् होंगे - तेन्द्र् पतें से सम्बन्धित वे विषय जिनके लिये अधिनियम में उपबन्ध नहीं हैं और जिनके लिये उपबन्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में है, उस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शशसित होंगे।

धारा 21. निरसन - विन्ध्यप्रदेश तेन्दू पता अधिनियम, 1953 (क्र. 6, वष्ट्रज 1953) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। धारा 22. कठिनाइयों का निवारण - इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य शासन आदेश द्वारा ऐसे उपबन्धां से असंगत न होने वाला कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगा जो कि उसे कठिनाई का निवारण करने के प्रयाजनों के लिये आवश्यक या इघ्टकर प्रतीत हो। टिप्पणी - (1) उन टेन्डर में जिनमें उपरीलेखन हो (over writing) अमान्य किये जा सकते हैं। उनको संविधान की धारा 226 का लाभ नहीं मिलेगा।

(2) तेन्दू पता टेन्डर की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप जमा धन राज सात नहीं हो सकता हक्योंकि उससे को कोई हानि नहीं हुई। निर्णय दि. 2-5-88 जबलपुर हाईकोर्ट।

(Misc. Petition No. 514/1988 & other (J.B.P.)

<sup>1.</sup> म.प्र. तेन्द् पत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा संशोधित।

# The M.P. Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1966

Published vide Notification No. 1724-10-66, M.P. Rajpatra (Asadharan), dated 14-2-1966 at page 499

mp761

#### LEGISLATIVE HISTORY

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 (No. 29 of 1964), the State Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of the said section, namely: -1. Short title and commencement. - These rules may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1966.

- 2. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (1) "Act" means the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964;
  - (2) "Chairman" means a member of the Committee appointed as such by the notification constituting the Committee under Section 6;
  - (3) "Convenor" means a member of the Committee appointed as such by the notification constituting the Committee under Section 6;
  - (4) "Divisional Forest Officer" means the Forest Officer in Charge of a Forest Division;
  - (5) "Exporter of Tendu leaves" means a person or party who exports tendu leaves outside Madhya Pradesh for his or its own use or sells Tendu leaves to another person or party carrying on trade in tendu leaves at a place outside Madhya Pradesh;
  - (6) "Form" means a form appended to these rules;
  - (7) "Purchaser" means a person or party to whom tendu leaves have been sold by the State Government under Section 12;
  - (8) "Section" means a section of the Act;
  - (9) "Standard Bag" means a bag containing 1,000 standard gaddis of tendu leaves and where the standard gaddis are not bagged, reference to standard bag shall be construed as a reference to 1,000 standard gaddis;
  - (10) "Standard Gaddis" means a bundle containing 50 tendu leaves;
  - (11) "Transport permit" means a permit issued under clause (b) of sub-section (2) of Section 5 for transport of tendu leaves;
  - (12) all other words and expressions, used in these rules but not defined therein, shall have respectively the same meaning as is assigned to them in the Act.

 $[3. \times \times \times]$ 

4. Transport permit. - (1) Transport permit shall be of the following four types and shall be issued by officers and/or persons mentioned against each of them:-

Ту	pe of Transport permit	Authority issuing permit
	(1)	(2)
(i)	For transport from	

	collection depot to storage godown.	
	(a) Main permit-Form T.P. 1 (Main)	Divisional Forest Officer or an Officer authorised by him in writing.
	(b) Subsidiary Permit-Form T.P. 1 (Subsidiary) up to the extent of quantity mentioned in the main permit.	Divisional Forest Officer or any Officer and/or person authorised by the Divisional Forest Officer in writing.
(ii)	For transport from one storage godown to another or to distribution Centre-Form T.P. 2.	Divisional Forest Officer or any Officer and/or person authorised by the Divisional Forest Officer in writing upto a specified quantity and period.
(iii)	For transport from distribution centre to Sattedars or Mazdoors-Form T.P.	Divisional Forest Officer or any person authorised by the Divisional Forest Officer in writing specifying the maximum quantity to be transported in each consignment.
[(iv)	For transport outside the State-	
	[(a) Main permit - Form T.P. 4 (Main)	Divisional Forest Officer or any other officer authorised by him in writing.]
	(b) Subsidiary permit- Form T.P. 4 (Subsidiary)	Divisional Forest Officer or any Officer and/or person authorised by the Divisional Forest Officer in writing.]

Provided that the Divisional Forest Officer, if he has reason to believe that the Officer or the person authorised by him to issue permit is not suitable, shall forthwith cancel authorization.

(2) Application for issue of Transport Permit of any of the aforesaid types shall be made in Form 'D' and shall be submitted to the Divisional Forest Officer who shall grant the permit or shall authorise any Officer or person to issue the permit:

Provided that the Divisional Forest Officer, if he has reason to believe that the leaves in respect of which the application has been made, have not been purchased from Government or their Officer or Agent, may, after giving the applicant such opportunity of being heard as he may in the circumstances deem fit, reject such application by an order in writing, recording the reasons for such rejection.

(3) All types of Transport permits shall be subject to the following conditions:-

- (a) Each consignment of tendu leaves during movement by any mode of transport by road, rail or air, shall he accompanied by a Transport permit of the concerned type;
- (b) The leaves shall be transported only by the route specified in the permit and shall be produced for checking at such place or places as may be specified therein;
- (c) Except with the permission in writing of the Divisional Forest Officer or an Officer authorised by him in this behalf, the leaves shall not be transported at any time after sun-set and before rise.
- (d) The permit shall he valid for such period as may be specified therein.
- (e) The transport permit will be liable to be cancelled by the Divisional Forest Officer if there is reason to believe that it has been misused or is likely to be misused.
- (f) All transport permits after transporting leaves or after the expiry of the period mentioned therein, whichever is earlier, shall be returned within a fortnight to the nearest Divisional Forest Officer or the Range Officer.
- 5. Procedure for conducting business of the Advisory Committee. (1) The State Government shall, subject to the provisions of Section 6, publish the names of the members of the Advisory Committee of each Revenue Commissioner's Division constituted under the said section appointing one member as the Chairman and another as Convenor.

(2) The Advisory Committee shall hold its meeting at the headquarters of the Revenue Commissioner of the Division for which it is constituted.

(3) Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman and in his absence by the Convenor. If both the Chairman and the Convenor are absent, the members present shall elect one of the members present as the Chairman and hold the meeting.

(4) The Convenor of the Committee shall fix the date, time and place of meeting and inform the same in writing to all the members of the Committee. The acknowledgements of all the members of having received the information shall be kept in record.

(5) Four members of the Committee shall constitute the quorum.

(6) The proceedings of the meeting shall be prepared in Hindi written in Devanagri script so as to clearly bring out the Committee's recommendations regarding the fair and reasonable price at which tendu leaves may be purchased from the growers other than the State Government and also its advice on such other matter as may be referred to it by the Government.

(7) The proceedings shall be approved by the person presiding at the meeting and his approval shall be taken as final proof of the authenticity of the Committee's recommendations.

(8) The Committee's advise shall be conveyed to State Government through the proceedings of the meetings, which shall be sent so as to reach the Secretary to the Government, Forest Department, by the 15th of December, or such earlier date as the Government may fix tor a particular year. The State Government may, however, in a special case allow a Committee further time in accordance with the proviso to Section 7. The request for further time on behalf of a Committee should be made well in

(9) Prices fixed under Section 7 shall be published in both Hindi and English in the official gazette and if deemed necessary, in such newspapers having circulation in the revenue division concerned as may be decided by the Conservator of Forests concerned.

(10) (1) The non-official members of the Committee other than those who are members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly shall be entitled to draw travelling and daily allowances as for a first grade officer of the State Government.

- (2) The travelling allowance hills shall be presented to the Convenor who will countersign them after scrutiny and disburse the allowances.
- 6. Registration of Growers. (1) Every grower of tendu leaves other than the State Government shall, if the quantity of leaves grown by him during a year is likely to exceed one Standard bag, get himself registered under Section 10.
- (2) An application for registration as grower shall be in Form E and be filed, before the Range Officer within whose jurisdiction the grower's land on which tendu plants grow, is situate. The Range Officer, after due verification shall forward the application within 30 days of its receipt to the Divisional Forest Officer who, after making such enquiry as he may deem necessary' may grant a certificate in Form F, or reject the application after recording reasons therefor.

- (3) The certificate of registration once issued shall be valid till the time it is cancelled or modified by the Divisional Forest Officer for reasons to be recorded by him in writing or till the time the applicant is in possession of the land in respect of which the certificate of registration has been obtained, whichever is earlier.
- (4) If a certificate is lost or is mutilated, a certified copy of the same can be obtained from the Divisional Forest Officer on payment of Rupee one for each certificate.
- (5) The aforesaid certificate shall be produced at the depot while offering leaves for sale and the person authorised to purchase leaves of growers shall make the entry of quantity of leaves purchased by him. (6) If so required by the Government, every grower of tendu leaves holding a certificate of registration shall furnish, by 15th July, each year, an account of total quantity of tendu leaves in standard bags collected by him and its disposal during the plucking season ending on 30th June, in the Form prescribed by the Divisional Forest Officer or any other Forest Officer superior to him. In the event of failure to submit the above account by the specified date, the certificate of registration shall be deemed to have been cancelled.
- 7. Procedure of enquiry about rejected Tendu leaves. (1) On receipt of a complaint under subsection (2) of Section 9, the Officer holding the enquiry shall, as soon as possible, intimate the place, date and time fixed for holding the enquiry, to the party or parties concerned.
- (2) On the date fixed or on any subsequent date to which the enquiry may be adjourned, such officer shall, after hearing the parties or their duly authorised representatives who may appear before him and making such further enquiry as he may deem necessary, pass such orders in terms of sub-section (3) or (4) of Section 9. as he considers fit.
- (3) If the party or parties, as the case may be, do not appear either personally or through their duly authorised representatives, the Enquiry Officer shall take decision ex parte after making such enquiry as he may deem necessary':
- Provided that if the Enquiry Officer is satisfied that the non-appearance of the party or parties was for sufficient cause, he may, after such further enquiry', as he may deem fit, pass suitable order in supersession of the *ex parte* order.
- (4) Any compensation ordered to be paid as result of the enquiry or any collection charges so ordered to be paid under sub-section (4) of Section 8 shall be paid within one month from the communication of the orders to the party concerned.
- 8. Registration for Manufacturers of Bidis and/or exporters of Tendu leaves. [(1) The manufacturer of bidis and/or the exporter of tendu leaves shall get registered, after payment of an annual registration fee of Rs. 500.00 for a period of one year. Such a registration may also be made on time for 5 years after the payment of a registration fee of Rs. 5000.00 and for 10 years after payment of a registration fee of Rs. 5000.00.]
- (2) An application for registration under Section 11, shall be in Form 'G' and shall be filed before the Divisional Forest Officer, within whose jurisdiction the manufacturer of bidis and/or exporter of Tendu Leaves resides or his principal place of business is situated. If the manufacturer or the exporter resides outside the State he may submit his application to any Divisional Forest Officer within the State. The applicant shall mention the calendar year for which the registration is required. The annual registration fee shall be deposited in advance and a copy of the evidence having deposited the amount shall be enclosed with the application for registration. The Divisional Forest Officer may, after making such enquiry as he deems necessary, grant a certificate of registration in Form 'H' or reject the application after recording reasons therefor.
- (3) The registration shall be valid for the year for which the certificate of registration is issued.
- (4) Every registered manufacturer of bidis and/or exporter of tendu leaves shall maintain a register of accounts of tendu leaves in Form I. He shall submit to the Divisional Forest Officer two returns of stock in Form J one on the 31st March and the other on the 30th September each year.
- (5) On receipt of certificate of registration granted by the Divisional Forest Officer under sub-rule (1), every manufacturer of bidis and/or exporter of tendu leaves shall furnish a declaration in Form K to the Divisional Forest Officer by 31st of March or such other date as may be specified by the Government. (6) If a certificate is lost or is mutilated, a certified copy of the same can be obtained from the Divisional Forest Officer on payment of Rs. 5.00 (Five) for each certificate.
- (7) Certificate of registration of the manufacturer of bidi and/or exporter of tendu leaves who has committed any breach of the Act, these rules and/or the conditions of any agreement entered to with the State Government as a result of which he has cither been punished under Section 15 of the Act or his agreement has been terminated, shall be liable to be cancelled by the Conservator of Forests and the manufacturer of bidi and/or exporter may he refused registration for a further period which may extend to 3 years:
- Provided that if the manufacturer of bidi and/or exporter concerned is aggrieved by the above order, he may appeal to the State Government.
- 9. Certificate of sale. The Government or their officer or an agent who sells or delivers leaves to the purchaser shall grant to him a certificate of sale in Form L. Any person who claims to have purchased leaves from the Government under Section 12 shall be required to produce such certificate of sale in support of his claim, failing which his claim shall not be accepted.
- 10. Repeal. The Madhya Pradesh Tendu Patta, Mantrana Samiti Tatha Mulya Prakashan Niyam, 1964 and the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Niyamavali, 1965, are hereby repealed:

Provided that anything done or any action taken under rules so repealed shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

#### [Forms A, B & C - x x x]

Form D

and shall be presented tor checking and examination at the following places :-

ALCO TO

1.		
2.		
3.		
4.		
(3) Details of Transport permit 1, (s Book No	subsidiary) allowed to be used :-	
Pages; fromtoto		
	Form T.P. 1 (Subsidiary)	Divisional Forest Office
Book No	[See Rule 4]	
DOOK NO		Page No
A Name of the Day to	Transport Permit 1 (Subsidiary)	
Name of the Purchaser      Unit NoDivision      Reference to T.P. 1 (Main):-		
(i) Book NoPage N	lo	
(ii) Quantity permitted		
Standard bag/actual bags		
(iii) Valid upto		
Quantity covered under the		
above authority already transported previous to issue of this page.		
Quantity now being transported in the consignment accompanying this permit. (Give serial number of bag and quantity in each)	Standard bags/ Actual bags	
6. Fromto		
7. Route of transport	ate).	
<b>lote :</b> - Unless otherwise authorised hours.)	I by the Divisional Forest Officer in writ	ing, period shall not exceed 48
Placehour		
Dug		
		Signature of the Issuing Officer Checked
		Signature of the Checking
	Em	Officer, with date
	Form T.P. 2 [See Rule 4]	
Book No		
	Transport Permit 2	Page No
(from one sto	orage godown to another or to distributi	on centre)
1. Name of the purchaser		
o, releighed to Divisional Folest (	Jinosi a aumomy 140	

Upto	ard bags/actual bags
5. Quantity covered under the above authority already transported. Stand	ard bags/actual bags
b. Quantity now being transported on this permit. Standard bags/actual bags	ags
(give serial number of bags and quantity in each). 7. Fromto	
8. Route of transport	
9. Place or places for checking	
10. Permit is valid upto	
(Note: - Unless otherwise authorised by the Divisional Forest Officer in writi 48 hours.)	ng the period shall not exceed
Place	
Datehour	
	Signature of th
	Issuing Office
	Checked
	Signature of the Checkin
	Officer, with date
Form T.P. 3	
[See Rule 4]	
Transport Permit 3	
(For distribution to Sattedars or mazdoors)  1. Name of Purchaser	
2. Unit NoDivision	
Storage depot from where leaves have been issued.	
4. Name of the person to whom leaves have been issued	
Place where it is being transported.     Quantity	
7. Period during which leaves shall be consumed	
(Note :- The period allowed for transport of leaves shall be 24 hours from time	o of icours
Place	e of issue.)
Datehour	
	The Local Administration of
	Signature of the
	Issuing Officer
[Form T.P. 4 (Main)]	
Book No	with the late to the late of
	Basis Ba
	Page No(Original/copy
[Transport Permit 4 (Main)]	(Original/Copy)
(For transport outside the State)	
1. Shri/M/s Purchaser of Unit No. of Division is permitted to transport stand	lard bags packed in
SOUND SOURCE STATE OF THE STATE	
Name and address of the consignee outside Madhya Pradesh      The permit is valid up to	******
Place	
Date	
	Divisional Forest Officer
	Division
[Form T.P. 4 (Subsidiary)	
Book No[See Rule 4]	
BOOK HOMAMAMAM	
Transpart Daywit 4 (6.4.1.1)	Page No
1. Name of the purchaser	
2. Unit NoDivision	
3. Reference to T.P. 4 (Main)	
(i) Book NoPage No	
(ii) Quantity permittedStandard bags/Actual bags	

(iii)	Valid upto	)							
4. Quar	tity covere	ed und	er the above	authority	alre	ady transported	previous	s to issi	ue of this page.
(i)	Details	of	Transport	Permit	4	(Subsidiary).	Book	No.	Page
	No	Dat	e						
(ii)	Quantity		Standard b	ags/Actua	al bag	js.			
bag and 6. Quan 7. From 8. Route 9. Place	quantity in tity in bala of transpersor places	n each nce fo ort for ch	n. Standard b or transport-S to	pags/Actu Standard t	al ba pags/	gs). Actual bags.	ng this p	ermit (	give serial number of
			pto authorised b				in writing	g perio	d shall not exceed 48
	************								
	ho								
									Signature of the Issuing Officer.
Issuing	Officer.								
Place	*******				Ch	ecked			
									***************************************
								1	Signature of the
			,		Fo	rm E			Issuing Officer.
						tule 6 (2)]			
						of Growers ur	nder Sec	ction 1	O
(a)	Name, Fat	ther's	name and a	ddress of	the a	pplicant.			
(b)	Location, a	area a	nd survey nu	ımber of t	the p	lots on which ter	ndu leav	es are	grown.
(c)	Particulars	rega	rding owners	hip of the	Lan	d.			
			ı bushes exi						
		cost v	vas incurred			• 0			has done any pruning o each year should be
(f) I	Estimated	produ	ction of leave	es.					
	What quan			during th	ne pa	st three years?	Product	ion witl	n respect to each year
			eaves were		ing p	olucking season	of	a	nd(the last two
(i) F	Place or pla	aces.	where tendu	leaves w	ill be	stored, tempora	rilv till de	eliverv	
Place		,				, tempera	,		
Date									
									nature of the Applicant
					Fo	rm F		olgi	iature or the Applicant.
				5	See R	tule 6 (2)]			
Book No	),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	****							Page No
			Cert	ificate of	Rea	istration of Gro	wers		(In two foils)
				son of.		of villa	ge		Police Station as a

holding as shown below isstandard bags. The pla	aces of storage would be :-
2	
3	
4	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
	Dataile of halding
	Details of holdings- Signature of Divisional Forest Officer
	Division
Form G	Dated
[See Rule 8 (2)]	
Application for Registration of Manufacturer of Bidis and E	
<ol> <li>Name, father's name and address of the applicant. If it is a refirm or company, registration number, year of registration, the napower-of-attorney. A copy of power-of-attorney enclosed.</li> <li>Place or places of business, location of the headquarters or histation and district.</li> </ol>	ame and address of person holding a
Particulars of trade in Tendu leaves in standard bags :-	
(a) Average quantity of Bidis manufactured annually.	
and/or	
Average quantity of Tendu leaves annually exported ou years as also the quantity of tendu leaves exported each 19	Itside the State during the last three ch year during the last three years.
(b) Trade mark, if any, in case of manufacturer and the nan exported in case of exporter.	ne or names of places where leaves are
(c) Estimated annual requirement of Tendu leaves in standa	ard bags for purposes of:-
(i) manufacture of bidis.	
(ii) export.	
(d) Name or names of places of godowns where applicant's	s slock of tendu leaves is stored.
(e) Manner in which the required stock is obtained.	NEW State of
(f) Central Excise Registration No., if any.	To be a second of the second o
4. Since when the applicant is in the trade of Tendu leaves as -	T COMPANIES
(i) manufacturer of bidis.	
(ii) exporter of leaves.	
5. Names and addresses of two persons of status to whom refere	ence could be made for verification of
(1)	
(2)	
6. Quantity of leaves in standard bags, for which registration is re 7. Year for which registration is required	
<ol><li>Whether the applicant was previously registered and, if so, in what quantity of leaves</li></ol>	vhat year and in which division, and for
10. Evidence of payment of registration fee of Rs	nce that he is a bona fide manufacturer
Place	
(d) Name or names of places of godowns where applicant's  (e) Manner in which the required stock is obtained.  (f) Central Excise Registration No., if any.  4. Since when the applicant is in the trade of Tendu leaves as,—  (i) manufacturer of bidis.  (ii) exporter of leaves.  5. Names and addresses of two persons of status to whom refered the details of the application:—  (1)	ence could be made for verification of equired.

*		3	,		¥	٨	*	*	5	*	*	*			٨	*	7	*	1	*	×	5	٧	٨	Ÿ	A	٧		*	4	5	*	*	٧	*	4	*			8	*	
	3	* 100000	(	you	Y	-	ć	3	Sund	·	****	9	-	513	,	-		1		-	-	-	1	2		1		-	Y.	3	- County	>	-	A 4000		1		-	-	design		

Form H [See Rule 8 (2)]

(ii	· Same	th	r	e	e	1	-	C	-	-	6	3	)
Page	Name.	VO			**			,			*	*	

779 3 6 6				Page No
This is to certify that Station	Shri/M/s District he of Tendu leaves for Adhiniyam, 1964, and	son ofson of nas been registered for purposes of Section of the rules made ther ually for manufacture	r of Bidis and/or expo	of Police as manufacturer of desh Tendu Patta
1				
2				
3				
4				
5				
			Signa	ture of the Divisional Forest Officer Division
				Dated
[Seal of Office] Copy is forwarded to	Conservator of Fore	Form I		nation. sional Forest Officer Division
R	egister of Accounts	[See Rule 8 (4)] of Tendu leaves of I	Vlanufacturer/Export	er
Name of Godown			Name of Ma	anufacturer/Exporter
	Balance stock on hand at the time of submission of last return in	term	tities of stock in as of bags added Bags	

on hand at the time of	st	andard b	ags ado	led
submission of last return in standard bags	Date on stock receive add	was ed and	F	Bags
(1)	(2	2)		(3)
Manner of acquisition of bags in column 3	Total of column 1 plus 3	stoc	k in ter	ntities of ms of disposed
(give details verifiable)	1 plus 3	Date which		Bags

		was removed from Godowr	
(4)	(5)	(6)	(7)
Marriago	1. 1	165 (6549) 20403 (7549)	
Manner of of (give verified details as to consumed or rendered used destroy	fiable whether r sold or eless and	Balance left after the disposa of quantity in Col. 7 in standard bags	l Remarks
(8)		(9)	(10)

Note: - The above account will be kept for each godown.

Form J [See Rule 8 (4)]

Registration No.....

				3.00
	Balance stock on hand at the	betwee	ded during en submissi ern and this	The state of the s
Serial Number and name of godown where stock is stored	of last	Standard bags	Reference of page Nos. of Register in Form H	Month of acquisition of leaves, giving reference of evidence like purchase receipt etc.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1									
ı									

2.....

3.....

Total of		Disposal	and an el	Nation in the
col. (2) plus	Quantity in standard	Manner of disposal, whether	Balance of stock in standard	Remarks

(3)	bags consumed or disposed of during the period between last and this return	consumed or sold or rendered use-less and destroyed	bags on the date of submission of return	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Signature of the Manufacturer/Exporter Date of submission of return.

#### Form K [See Rule 8 (5)]

Declaration by Manufacturer/Exporte	
I/Wehereby declare that I am/Ware a bona fide Ma Exporter of Tendu Leaves carrying on business in the District of	
ofthe details of my business are as under :-	
1. Name of the person or the Firm or Company in the name of which be	usiness is carried out
2. Registration No. of the Firm or Company.	
Name of Centres of business having either office or godown.	
(1)	
(0)	
(2)	
(3)	
4. Present stock of Tendu leaves in standard bags in each of the Codo declaration:-	wn at the time of furnishing
	Quantity in standard bags.
(4)	
(1)	
(2)	
(3)	
5. Trade mark or marks of Ridi if any	
5. Trade mark or marks of Bidi, if any.	-141
<ol><li>Quantity of Bidis manufactured annually during previous two years a</li></ol>	ing the quantity of Tengu leaves
consumed.	

Years	No. of Bidis manufactured (in number)	Quantity of leaves used (in standard bags)
(1)	(2)	(3)
(1) (2)		

- 7. Estimated manufacture of Bidis and requirement of tendu leaves for the same during ensuing year :-
  - (1) Estimated manufacture in number.....
  - (2) Estimated requirement of leaves in standard bags.....

8. Quantity of tendu leaves exported annually during the previous two years.

		T	
Year	Place of	To whom	Quantity in

			Export	exported or sold	standard bag	
	(	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.	••••	•••••			
		(1)				
		(2)				
		(3)				
	2.					
		(1)				
		(2)				
9. Estimated export d I further declare that I Patta (Vyapar Viniyar All the details given a evidence in their prod	na nar bov	ve rea	ad and have under ninivam, 1964, and	stood the provision the Rules made t	ns of the Madhya	
Place					 Ma	Signature of the nufacturer/Exporter.
Presented in duplicate (place)	e or	n (dati	e)	to the (C	officer)	Date of furnishing declarationat
Copy forwarded to the	e Co	onser	vator of Forests, Te	endu Leaves, Mad	Mai dhya Pradesh, Bho	Signature of the nufacturer/Exporter.
					**********	sional Forest Officer
Book No			[Se	orm L e Rule 9] cate of Sale		Division
						Page No
<ol> <li>Name of the Polynomial</li> <li>Name of the Same</li> </ol>						
			(in standard bags).			
4. Date of sale/de			(iii otandara bags).			
Place		y .				
ce Acts Live					Signature Officer/Age	of the Government nt or his authorized Representative.

Copyright © 2016 Chawla Publications (P) Ltd. - Home | About Us | Contact Us

# The M.P. Tendu Patta Mantrana Samits Tatha Mulya Prakashan Niyam, 1964

Published vide Notification No. 14707-10-64, M.P. Rajpatra (Asadharan), dated 7-12-1964 at page 3408

mp760

In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-sections (3) and (4) of Section 6 and Section 7 of the M.P. Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 (No. 29 of 1964), the State Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 19 of the said Act, namely:-

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta Mantrana Samiti Tatha Mulya Prakashan Niyam, 1964.

(2) They shall come into force at once.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964;
- (b) "Chairman" means a member of the Committee appointed as such by the notification constituting the Committee under Section 6;
- (c) "Convener" means a member of the Committee appointed as such by the notification constituting the Committee under Section 6.
- 3. The Advisory Committee constituted under Section 6 shall hold its meeting at the headquarters of the Revenue Commissioner of the Division for which it is constituted.
- 4. Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman and in Iris absence by the
- 5. The Convener of the Committee shall notify the date, time and place of meeting, not less than seven. days in advance to each member of the Committee by registered post acknowledgment due.

6. Four members of the Committee shall constitute the quorum.

7. The proceedings of the meeting shall be prepared in Hindi written in Devanagari script so as to clearly bring out the Committee's recommendations regarding the fair and reasonable price at which tendu leaves may be purchased from growers other than the State Government and also its advice on such other matters as may be referred to it by the Government.

8. The proceedings shall be approved by the person presiding at the meeting and his approval shall be taken as final proof of the authenticity of the Committee's recommendations.

9. The Committee's advice shall be conveyed to State Government through the proceedings of the meeting, which shall be sent so as to reach the Secretary to the Government, Forest Department, by the 15th of December, or such earlier date as the Government may fix for a particular year. The State Government may, however, in a special case allow a Committee further time in accordance with the proviso to Section 7. The request for further time on behalf of a Committee should be made well in

advance by the Convener on behalf of and with the approval of the Committee. 10. Prices fixed under Section 7 shall be published in both Hindi and English in the Official Gazette and also in such news papers having circular in the revenue division concerned as the State Government

11. (1) The non-official members of the Committee other than those who are members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly shall be entitled to draw travelling and daily allowances as for a first grade officer of the State Government.

(2) The travelling allowances bills shall be presented to the Convener who will countersign them after scrutiny and disburse the allowances.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यामिक्या राजापहा

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2022-आश्विन 26, शक 1944

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०२२

## मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२

[ दिनांक १५ अक्टूबर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १८ अक्टूबर २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

धारा १५ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) की धारा १५ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क) वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;''.

#### भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. 15687-259-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश तेंदूपता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

#### MADHYA PRADESH ACT No. 27 of 2022

# THE MADHYA PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 15th October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2022.

Amendment of Section 15.

- 2. In Section 15 of the Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964 (No. 29 of 1964), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
  - " (a) he shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand rupees and may extend to fifty thousand rupees;".

<% if session("logname")="" then session("filename")="about\_us.asp" Response.Redirect("log.asp") else %>



Register Now

bout us Resource Map Organisation Char Tendu Patta Chebulic myrobolan Sal Seed Gums \* PPA. Other M.F.P.s Medicinal Plants Auction / Tender Notice atest Result ot List About Madhya Pradesh M. O. U. Growers & Dealers General Notice Board Suggestions for Private Investment Stock

Search our site

Minorforest >

Go

Web Links,

Home | About us | Resource Map | Auction / Tender Notice | Lot List | Stock | Latest Result | Contact us



**Picture Gallery** 

Madhya Pradesh is the biggest Tendu Leaves (Leaves of *Diospyros melonoxylon*) producing State of India. The average annual production of Tendu Leaves in Madhya Pradesh is around 25 lakh standard bags, which is nearly 25% of the total Tendu Leaves

production of the country. One standard bag of Tendu Leaves in Madhya Pradesh means 1000 bundles of 50 leaves each.

The leaves are obtained from Tendu tree (Diospyros melanoxylon Roxb.) belonging to Family Ebenaceae, which is endemic to Indian sub-continent. According to Troup (1921) Diospyros melanoxylon (inclusive of D. tomentosa and D. tupru) is one of the most characteristic trees of the dry deciduous forests throughout India, covering the entire Indian peninsula the area of distribution extends upto Nepal in sub-Himalayan tracts including the Indian plain, Gangetic plain, Madhya Pradesh, Maharashtra, western coast upto Malabar and Eastern coast upto Coromandel. The plant is also met with on the Nilgiris and Serawalli hills in the south.

Diospyros melanoxylon leaf is considered the most suitable wrapper on account of the ease with which it can be rolled and its wide availability. Leaves of many other plants like Butea monosperma, Shorea robusta etc. also find use as Bidi wrappers in different parts of the country but the texture, flavour and workability of diospyros leaves are unmatchable. The wide-scale use of Diospyros melanoxylon leaves in Bidi industry is mainly based on their enormous production, agreeable flavour, resistance to decay and capacity to retain fires. The broad morphological characters on which leaves, are selected and catagorised for Bidi making are size, thickness of leaves, texture, relative thickness of midrib and lateral veins.

Bidi rolling is the primary job which is very simple and can be done at any place at any time. It is a source of subsidiary occupation and supplementary income to lakhs of poor rural folk Bidi industry provides employment to the rural population during off season for collection of bidi leaves. Obviously, bidi industry has a vital role in rural welfare and in promoting rural economy.

The procedure for collection and processing of tendu leaves has almost been standardised and almost the same procedure is used everywhere. The tendu plants are pruned in the months of February and March and the mature leaves are collected after about 45 days. The leaves are collected in bundles of 50 to 100 leaves, which are dried in sunlight for about a week. The dried leaves are sprinkled with water to soften them and then filled tightly in jute bags and exposed to direct sunlight for 2 days. The bags, thus packed and cured can be stored till their use in Bidi manufacture. Great care is needed while plucking, curing and storage of tendu leaves. It is a sensitive product and with the slightest mistakes or


oversight during any of these processes their quality deteriorates rendering them unfit for making Bidis.

The State Government enacted an Act in 1964 and took over the trade in Tendu Leaves. In order to give more benefits to forest dwellers in collection and trade of Tendu Leaves, the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative



Federation Limited was formed in 1984. In 1988, the State Government decided to involve co-operative societies in the trade of Tendu Leaves. For this, a three tier Co-operative structure was designed. M.P.State Minor Forest Produce Federation was placed at the apex level of this structure. At the primary level, Primary Forest Produce Co-operative Societies were constituted. At the secondary level, District Forest Produce Co-operative Unions were formed.

Primary Co-operative Societies of actual pluckers of Tendu Leaves. There are over 15,000 collection centres in the State. The collection work is seasonal. It lasts for about 6 weeks. Depending on the geographical location of Districts, the season may commence any time from the middle of April to second week of May. The collection stops ten to fifteen days before



#### **Data of Tendu Leaves Trade**

		Collection Rate per S.B	Collection Wages	Quantity Stored	Quantity disposed off	Sale Price	Expenditure	Net receipt
1989	43.61	150	65.42	43.58	43.58	405.15	114.70	200.45
1990	61.15	250	152.88	60.57	60.57	248.47	209.12	290.45
1991	46.16	250	115.40	45.79	45.79	298.07	-	39.35
1992	45.06	250	112.65	44.64	44.64	285.99	180.00	118.07
1993	41.31	300	123.93	40.98	40,98	252.77	201.47	84.52
1994	42.38	300	127.14	42.08	42.08	299.40	198.29	54.48
1995	39.56	300	118.68	39.36	39.36	289.39	210.95	88.45
1996	44.60	350	156.10	44.43	44.43	338.85	197.80	91.59
1997	40.14	350	140.49	39.95	39.95	The state of the s	269.38	69.47
1998	45.47	400	181.84	45.23	45.23	338.69	244.05	94.64
1999	49.37	400	194.20	49.12	49.12	407.66	280.39	127.27
2000	29.59	400	114.78	29.49	29.49	402.20	283.87	118.33
2001	21.28	400	83.09	21.22	21.22	176.31	160.08	16.23
2002	22.74	400	89.04	22.65	22.65	111.05	136.07	-
2003	22.25	400	87.56	22,21	22.03	165.77	143.83	21.94
2004	25.77	400	101.61	25.72	25.72	152.95	140.71	12.24
2005	16.83	400	66.37	16.82	16.82	167.71	145.86	21.85
2006	17.97	400	71.88	17.97	17.97	131.41	106.90	24.51
2007	24.21	450	108.95	24.21	24.21	151.33	100.56	50.77
2008	18.25	550	100.35	18.25	18.25	373.64	136.89	236.75
2009	20.49	550	112.67	20.49	20.49	211.26	136.57	74.69
2010	21.24	650	138.11	21.24	21.24	265.49	149.86	115.63
2011	17.06	650	110.85	17.06		332.89	179.71	153.18
2012	26.06	750	195.45	26.06	17.06 26.06	310.06	154.10	155.96
2013	19.92	950	189.28	19.92		618.40	245.94	372.56
014	16.99	950	161.42	16.99	19.92	394.81	247.04	147.77
015	16.05	950	152.47	16.05	16.99	310.09	217.39	92.70
016	18.56	1250	232.07	18.56	16.05	329.27		113.20
017	23.36	1250	292.00	23.36	18.56	627.25	297.82	329.42
018	19.14	2000	382.80	19.14		1281.56	356.87	920.33
019	21.04	2500	526.00	21.04	18.67	874.42		422.39
20*	15.88	2500	397.00	15.88	20.15	815.92		198.79
1				13.00	14.90	595.05	483.68	111.37

Note:-

<sup>\*</sup> Figures for 2020, 2021 season are to be finalised

1) Quantity: In lakh Standard Bags (1 Standard Bag=50,000 leaves);

2) Amount: In Rs. Crores.

#### **Collection Rates in Different Seasons**

Season	Area	Collection Rate (Rs. per S.B.)
1999, 2000 & 2001	5 D.U Shivpuri,Bhopal,Chhatarpur, Tikamgarh & N. Sagar	300/-
2001	All other D.U.	400/-
2002	4 D.U Bhopal,Chhatarpur, Tikamgarh & N. Sagar	300/-
	All other D.U.	400/-
2003,2004,2005	3 D.U Chhatarpur, Tikamgarh & N. Sagar	300/-
2000,2007,2000	All other D.U.	400/-
2006	All D.U.	400/-
2007	All D.U.	450/-
2008,2009	All D.U.	550/-
2010,2011	All D.U.	650/-
2012	All D.U.	750/-
2013	All D.U.	950/-
2014	All D.U.	950/-
2015	All D.U.	950/-
2016	All D.U.	1250/-
2017	All D.U.	1250/-
2018	All D.U.	2000/-
2019	All D.U.	2500/-
2020	All D.U.	2500/-
2021	All D.U.	2500/-
2022	All D.U.	3000/-

From 2000 season, figures are for the new state of M.P..



#### **Group Insurance Scheme**

A group insurance scheme for the Tendu leaves pluckers was launched in 1991. It is the biggest insurance scheme of its kind in the whole of Asia. All tendu leaves pluckers between 18 and 60 years of age (about 24 lakh) are insured free of cost under this scheme. The scheme is run by the Life Insurance Corporation of India. Following insurance amounts are paid under this scheme.

- In case of death of any plucker covered under this scheme, his nominee is paid Rs. 3500/-.
- In case of disability due to accident, the plucker is paid an amount of Rs. 12500/-
- In case, the death or permanent disability caused is due to accident, the amount of insurance is Rs. 25000/-.

The nominees of the pluckers are provided all help and guidance in the submission of claims. The settlement of claims is also monitored regularly. Till now, **226000** claims have been settled and an amount of Rs. **91.01** Crores paid to the nominees of the deceased pluckers. Yearwise breakup of the settled claims is given in the table below

Details of settlement of claims

Details of settlement of claims							
Year	No of claims Settled	Amount of insurance paid (In Rs. crores)					
1991-92	1194	0.36					
1992-93	3235	0.99					
1993-94	8238	2.48					

1994-95	10699	3.37	
1995-96	10361	3.54	
1996-97	16522	5.75	
1997-98	13249	4.69	
1998-99	10215	3.76	+
1999-2000	15026	5.26	
2000-01	18242	7.11	
2001-02	16271	6.69	
2002-03	10750	4.75	
2003-04	11040	4.60	Н
2004-05	10564	4.63	Н
2005-06	4130	2.04	H
2006-07	13737	6.47	Н
2007-08	8761	3.71	Н
2008-09	10572	5.62	Н
2009-10	6404	2.84	H
2010-11	8235	3.42	H
2013-14	8235	2.26	+
Total	226000	91.01	H

### Incentive Wages to Tendu leaves pluckers

Looking to the huge profit margin of 1989 season the State Govt. decided to distribute Rs. 150 crores as incentive wages to the Tendu leaves pluckers out of the profit of 1989 season . This amount was paid in 4 instalment through accounts of pluckers opened in local branches of Cooperative Banks or credit societies. This payment was discontinued from 1990 season and was again started from 1995 season . For 1995 to 1997 seasons, nearly 20% of net income was paid as incentive wages.

As a consequence of 73rd Amendment to the Constitution , the State Govt. decided to pass on all the net income from the trade of N.W.F.P. to the societies and the societies , in turn, distributed 50% of this net income to the Tendu leaves pluckers as incentive wages from 1998 season . From 2004 season the proportion of incentive wages has been enhanced to 60% and again enhanced to 70% from 2011 of the net income.

The amount of incentive wages paid in various years is shown in the table below.

Collection Season	No of pluckers (in Lakhs)	Amount of Incentive wages paid (In Rs. crores)
1989	21.31	150.00
1995	15.76	10.76
1996	18.02	12.29
1997	22.41	15.30
1998	18.84	27.99
1999	15.50	48.22
2000	4.50	7.30
2002	5.23	8.22
2003	4.64	5.51
2004	8.21	11.80
2005	9.80	13.23
2006	10.86	27.41
2007	12.39	108.94
2008	9.15	38.73
2009	10.83	62.10
2010	11.30	82.57
2011	9.03	98.22
2012	12.17	234.74
2013	_	93.10

2014	-	58.40
2015	· -	71.32
2016	-	207.54
2017	-	589.93
2018	_	277.35
2019		124.76
2020	_	70.16

Main Works of the M.P.MFP Federation Main Works of the District Unions Main Works of the Primary Societies







About us | Resource Map | Tendu Patta | Chebulic Myrobolan | Sal Seed | Gums | Other MFPs | Medicinal Plants | Contact us

<%end if%>









Jd Justdial Top Bidi Manufactu...

Jd Justdial
Top Bidi Manufactu...

Jd Justdial
Top Bidi Manufactu...

Jd Justdial Top Bidi Manufactu...

➤ Dial4Trade
Bidi Manufacturers in Madh...

Facebook

Jiyo Gold Filter Bidi Co B...

7 Facebook

Jiyo Gold Filter Bidi Co Bhopal M.P ...

Jd Justdial

Top Bidi Manufacturers in Indore ...

(2) Facebook

Riddhi Siddhi 777 bidi

www.dineshbidi.com

Dinesh Bidi

Bidi

™ Dial4Trade Bidi Manufacturers,B...

\*\* Facebook

Riddhi Siddhi 777 bidi

Company Vakil

SPECIAL RAJ BIDI NO.1 Trademar...

w Wikipedia

Beedi - Wikipedia

R ₹

Related searc

bidi b

bidi b

Company Vakil
KANTA CHHAP BIDI (...

The Indian Express

beedi in MP, UP, Orissa, Rajasthan ...

www.dineshbidi.com

Dinesh Bidi

■ Sopariwala

NO. 30 BRAND BEEDI - So...

bidi p

• India Today

Smoked out - India Today

\* TPackSS - Global Tobac...

Special Telephone Bidi ...

www.dineshbidi.com

Dinesh Bidi

Mr Monusolist

Bengal's Bidi Workers Struggle With ...

Company Vakil SPECIAL 51 NO

Amar Ujala

Hindu Gods Are Brand Of Muslim L...

≫ Dial4Trade

Bidi Manufacturers,Bidi S...

The Economic Times

getting makeover to lure urban smok...

Dailyo

How BJP's bidi baron subv...

Justdial
Top Bidi Manufa



Jd Justdial Top Bidi Manufactu...

Jd Justdial Top Bidi Manufactu...

Jd Justdial Top Bidi Manufactu...

Jd Justdial Top Bidi Manufactu... Bidi Manufacturers in Madh...

## Facebook Jiyo Gold Filter Bidi Co B...

Jd Justdial Top Bidi Manufacturers i.

Facebook

Jiyo Gold Filter Bidi Co Bhopal M.P ...

Jd Justdial

Top Bidi Manufacturers in Indore ...

Riddhi Siddhi 777 bidi

Www.dineshbidi.com

Dinesh Bidi

Bidi Manufacturers ...

El Fanehr Jiyo Gol

₩ Dial4Trade Bidi Manufacturers,B...

Facebook

Riddhi Siddhi 777 bidi

Company Vakil

SPECIAL RAJ BIDI NO.1 Trademar...

W Wikipedia

Beedi - Wikipedia

R ਹਾਂਚ ਪਰਬਰਜ਼

Anuppur : नकली बीड़ी बिक रही ...

Related searche

bidi brands in rajasthan

bidi brands in gujarat

Company Vakil KANTA CHHAP BIDI (... The Indian Express

beedi in MP, UP, Orissa, Rajasthan ..

www.dineshbidi.com

Dinesh Bidi

Sopariwala

NO. 30 BRAND BEED! - So ...

bidi packet

€ Co SPEC

India Today

Smoked out - India Today

\* TPackSS - Global Tobac .

Special Telephone Bidi ...

Www.dineshbidi.com

Bengal's Bidi Workers Struggle With ..

Company Vakil

SPECIAL 51 NO BIDI (LABEL) Tr...

tobaccc

Amar Ujala Hindu Gods Are Brand Of Muslim L... ₩ Dial4Trade

Bidi Manufacturers, Bidi S...

The Economic Times

getting makeover to lure urban smok...

How BJP's bidi baron subv...

Jd Justdial

Top Bidi Manufacturers i...

Company Vak

MOR CHHAP E

S bidi-manufactures-wholesale... Bidi Manufactures/ Wholes...

Company Vakil

DELUX DHOLAK BIDI Tradem...

Jiyo Gold Filter Bidi ...

Fake gutkha bidi factory of famous ...

C Linkedin

Om bidi Om bidi - M...

an Times

Beedi business owner, tobacco p

Related searches



bidi brands in maharashtra

shivali bidi







© bidi-manufactures-wholesale... Bidi Manufactures/ Wholes...

Company Vakil
DELUX DHOLAK BIDI Tradem...

Facebook

Jiyo Gold Filter Bidi ...

M Hindustan

Fake gutkha bidi factory of famous ...

Om bidi Om bidi - M...

Be

Related searches



bidi brands in maharashtra

shivaji bidi

· TPackSS - Global Tobacco ... Special Telephone Bidi In...

☐ LinkedIn Om bidi Om bidi - Madhy... Pet Dial4Trade Bidi Manufacturers ... (43)

beedi brands in tamilnadu

Company ∀akil FIFTY NO. BIDI 50 Trademark Ap...

Jd Justdial

Top Bidi Dealers in Bhopal ...

Company Vakil

SPECIAL GEHNA BIDI ...

DELUXE AZAD BEEDI NO. 51 (DEVICE...

Facebook

Rajasthan Pan Masala & bidi Cigarette ...

The Quint
MP Polls: Will

The rest of the results might not be what you're looking for. See more anyway

Indore, Madhya Pradesh, India - From your Internet address - Learn more

More options in Quick Settings ( )

## Names of Bidi Brands in M. P.

- 1. Manohar Bidi
- 2. Puran Bidi
- 3. Darjling Bidi
- 4. Sher bidi
- 5. 501 No. Bidi
- 6. Babuji Bidi
- 7. Teen Sher Chhap Bidi
- 8. Taala Chhap Bidi
- 9. Taqdeer idi No. 204
- 10. Lamp chhap Bidi
- 11. Jiyo Gold Filter Bidi
- 12. Riddhi Siddhi Bidi 777
- 13. 30 No. Bidi
- 14. Special Durgesh Bidi No. 12
- 15. 51 No. Bidi
- 16. Hari Patang Chhap no. 716
- 17. Mor Chhap Bidi
- 18. Azad Bidi
- 19. Nlkunj 9 No. Bidi
- 20. Om Bidi No. 10